न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक
श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

1. बदाराम पुत्र श्री गेनाराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता,
फर्मः— मैसर्स महाजगदम्बा स्टोर, पुराना बस स्टेण्ड, जावाल, तह0 व जिला— सिरोही
स्थाई पताः लक्ष्मण टेकरी, जावाल, तहसील व जिला— सिरोही
2. अमृत सुन्देशा पुत्र श्री प्रतापराम (हॉलसेलर)
फर्मः— मैसर्स श्री सुन्धा मार्केटिंग, इन्द्राजी नगर, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला—पाली
स्थाई पताः महावीर कॉलोनी, शिवगंज, जिला— सिरोही
3. पटेल अश्विन भाई जयन्तिलाल पुत्र श्री जयन्ति भाई माधवलाल पटेल, (निर्माता)
फर्मः— मैसर्स रजवाडी डेयरी प्रोडक्टस्,
F-1 Parth Agro, At-Kamli, Ta-Unjha, Dist. Mehsana, Gujrat-384170
स्थाई पताः Lavariya Vas, VTC-Varvada, PO: Varvada, Dirt.- Mehsana (Gujrat)-384170

F.S.S.Act Case No. 61/2025

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा— 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः बदाराम व अमृत सुन्देशा तथा प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि राकेश भार्गव पुत्र श्री भेरा राम भार्गव

—: निर्णय :— **दिनांक 13 जनवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 15—2—2025 को मैसर्स महाजगदम्बा स्टोर, पुराना बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता बदाराम पुत्र श्री गेनाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) का नमूना संख्या S-2549, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु के विश्लेषण प्रमाण पत्र संख्याः 645F/FSSA/2025 दिनांक 16—7—2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 13—01—2026 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः बदाराम व अमृत सुन्देशा तथा प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) श्री अश्विनभाई जयतिलाल पटेल, नॉमिनी, मैसर्स रजवाडी डेयरी प्रोडक्टस् की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री राकेश भार्गव पुत्र श्री भेरा राम भार्गव, निवासी— दिशान्तरीयों का वास, तिवरी, जिला— जोधपुर ने उपस्थित होकर संयुक्त जबाव प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया तथा जबाव के साथ प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) के अधिकृत पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की। जिस पर प्रतिवादीगण को आज ही सुना गया, जिन्होनें अनुरोध किया कि पैकिंग

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

अवस्था में ही गाय घी (गौधारा ब्राण्ड) का विक्रय किया है, इसमें कोई मिलावट नही की है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 13—01—2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 15—2—2025 को समय 2—00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स महाजगदम्बा स्टोर, पुराना बस स्टेण्ड़, जावाल, तहसील व जिला— सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी बदाराम पुत्र श्री गेनाराम, निवासी— लक्ष्मण टेकरी, जावाल, तहसील व जिला— सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स महाजगदम्बा स्टोर, पुराना बस स्टेण्ड़, जावाल, तहसील व जिला— सिरोही की दुकान के निरीक्षण के दौरान मैसर्स महाजगदम्बा स्टोर, पुराना बस स्टेण्ड, जावाल की दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के 10 प्लास्टिक पैक पैकिंग (प्रत्येक 200—200 एम.एल.) आम जनता को बिक्री हेतु रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का अन्देशा होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता बदाराम पुत्र श्री गेनाराम को गवाह श्री रामसिंह, तत्कालीन वाहन चालक व श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स महाजगदम्बा स्टोर, पुराना बस स्टेण्ड़, जावाल की दुकान के अन्दर आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के 10 प्लास्टिक पैक पैकिंग (प्रत्येक 200—200 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के 04 (चार) प्लास्टिक पैक (प्रत्येक 200—200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 480/— (रुपये चार सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता बदाराम पुत्र श्री गेनाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2549, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता बदाराम पुत्र श्री गेनाराम व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के 200—200 एम.एल. के चारों पैक पैकिंग पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के चारों नमूना पैक पैकिंगों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता बदाराम पुत्र श्री गेनाराम तथा उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने कब्जे/जाप्ते में लिया व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता बदाराम पुत्र श्री गेनाराम व उक्त गवाहों तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 17–02–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर VI का एक सील बन्द लिफाफा, श्री मुकेश प्रजापत, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 15–2–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स महाजगदम्बा स्टोर, पुराना बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता बदाराम पुत्र श्री गेनाराम से खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के 04 (चार) प्लास्टिक पैक पैकिंगों (प्रत्येक 200–200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जयपुर से खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के नमूना संख्या S-2549 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./453/Act/2025/522 दिनांक 04–3–2025 में खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) का नमूना संख्या S-2549, अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011due to presence of foreign fat पाया गया है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 (एक) बदाराम पुत्र श्री गेनाराम द्वारा खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के नमूनें के द्वितीय भाग की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से पुनः जांच करवाने हेतु अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के नमूनें के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु को भिजवाया गया। प्रकरण में खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधाराम) के नमूना संख्या S-2549 की निदेशक, र्निदिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु द्वारा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी), सिरोही को प्रेषित विश्लेषण प्रमाण पत्र संख्या: 645F/FSSA/2025 दिनांक 16–7–2025 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) बदाराम पुत्र श्री गेनाराम की फर्म मैसर्स महाजगदम्बा स्टोर, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के 200–200 एम.एल. के पैक पैकिंगों को मैसर्स श्री सुन्धा मार्केटिंग, इन्द्राजी नगर, भैरुचौक, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये बिल इनवोइस नम्बर GST/24-25/4522SM दिनांक 10–2–2025 से क्रय किये थे, जो प्रतिवादी संख्या 2 (दो) अमृत सुन्देशा पुत्र श्री प्रतापराम की फर्म है एवं मैसर्स श्री सुन्धा मार्केटिंग, इन्द्राजी नगर, भैरुचौक, सुमरेपुर द्वारा खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के 200–200 एम.एल. के पैक पैकिंग को मैसर्स रजवाडी डेयरी, प्रोडक्टस्, F-1 Parth Agro, At-Kamli, Ta-Unjha, Dist. Mehsana, Gujrat-384170 से जरिये बिल इनवोइस नम्बर GT/1077 दिनांक 02–01–2025 से क्रय किया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड़ गौधारा) की निर्माता व पैकर फर्म है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी बदाराम पुत्र श्री गेनाराम की फर्म महाजगदम्बा स्टोर, पुराना बस स्टेण्ड़, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गौधारा) के 200–200 एम. एल. के पैक पैकिंगों को पैकिंग अवस्था में ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ गाय घी (ब्राण्ड गौधारा) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त निर्माता फर्म मैसर्स रजवाडी डेयरी, प्रोडक्टस्, F-1 Parth Agro, At-Kamli, Ta-Unjha, Dist. Mehsana, Gujrat-384170 दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म मैसर्स रजवाडी डेयरी, प्रोडक्टस्, F-1 Parth Agro, At-Kamli, Ta-Unjha, Dist. Mehsana, Gujrat-384170 द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य

.....पेज चार पर

मुंसि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

पदार्थ घी (ब्राण्ड गौधारा) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी बदाराम पुत्र श्री गेनाराम व अमृत सुन्देशा पुत्र श्री प्रतापराम को दोषमुक्त करते हुए अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गौधारा) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रतिवादी निर्माता फर्म मैसर्स रजवाडी डेयरी, प्रोडक्टस्, F-1 Parth Agro, At-Kamli, Ta-Unjha, Dist. Mehsana, Gujrat-384170 पर राशि रुपये 75,000/– (अक्षरे रुपये पचहत्तर हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी पटेल अश्विन भाई जयन्तिलाल को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म मैसर्स रजवाडी डेयरी, प्रोडक्टस्, F-1 Parth Agro, At-Kamli, Ta-Unjha, Dist. Mehsana, Gujrat-384170 पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)